<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252857 CG-DL-E-12032024-252857

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

No. 58]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सं. 50/2023

विषयः अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन निविश्टियों के आयात के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाने के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/13/एएम-15/पीसी-2 [क]/ई-5910.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा उन मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है को संषोधित करते हैं। तदनुसार, दिनांक 07.03.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 47/2023 के अधिक्रमण में मंत्रालयों/विभागों की सूची को अद्यतित किया गया है। अद्यतित परिशिष्ट 2म इसके साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

1786 GI/2024 (1)

# परिशिष्ट-2म

# (एफ़टीपी का पैरा 2.03 (ग) देखें)

मंत्रालयों / विभागों की सूची, जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग / उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है।

क्रम संख्या	मंत्रालयों / विभागों के नाम
1	इस्पात मंत्रालय
2	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी)
3.	वस्त्र मंत्रालय

# इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 11.03.2024 की अधिसूचना संख्या 71/2023 के अनुसरण में, एफटीपी, 2023 के तहत नए परिशिष्ट 2म को तत्काल प्रभाव से जोड़ा गया है और उन मंत्रालयों/विभागों की सूची को जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है, को अद्यतित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th March, 2024

No. 50 /2023

Subject: Enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance Authorisation holders, EOU and SEZ - regarding.

**F. No.01/89/18/013/AM-15/PC-2[A]/E-5910.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Director General of Foreign Trade hereby makes amendment in the list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products. Accordingly, list of Ministries/Departments is updated in supersession of Public Notice No. 47/2023 dated 07.03.2024. The updated Appendix 2Y is reproduced herewith:

## Appendix -2Y

(Refer Para 2.03(c) of FTP)

The list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products.

Sl.No	Name of Ministry / Department
1	Ministry of Steel
2	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
3	Ministry of Textiles

#### **Effect of this Public Notice:**

In pursuance of Notification No. 71/2023 dated 11.03.2024, a new Appendix 2Y under FTP, 2023 has been created with immediate effect and list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products, have been updated.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and Ex- officio Addl. Secy.